<u>न्यायालय प्रथम अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, सारण छपरा।</u>

अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थित किया गया। अभियुक्तगण ने न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने की बात कही।

उक्त के आधार पर अभियुक्तगण को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद् अधिनियम (संशोधित अधिनियम) 2022 की धारा 37 के अंतर्गत अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाता है। और उनके द्वारा जुर्माना की राशि भुगतान किए जाने पर उनको छोड़ने का आदेश दिया जाता है। उनके द्वारा अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नही किये जाने पर उनको 30 दिनों की सादा कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(लेखापित)

प्रथम अनन्य विशेष न्यायाधीश
उत्पाद, सारण छपरा।